



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014

प्रेषक,

स्टेरच्म्स - FC-512

ए० क०० पाण्डेय, भा०व००स००,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 10/07/2019

विषय —

जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि० द्वारा चकाई—टेलवा बाजार एवं रामग्रह चौक सिकन्दरा पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.30414 हेठा वन भूमि का “स्टेट कॉडिनेटर, बिहार, पटना के पक्ष में” अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

जमुई जिलान्तर्गत जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि० द्वारा चकाई—टेलवा बाजार एवं रामग्रह चौक सिकन्दरा पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.30414 हेठा वन भूमि अपयोजन हेतु स्टेट कॉडिनेटर, बिहार, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है—

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हेठा में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	जमुई	0.30414	0
	कुल	0.30414	0

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल जमुई जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से हो कर गुजरती है। पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921 (E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.30414 हेठा वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाले वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.3 प्रतिवेदित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रदर्शित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। नियमतः वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन नियमावली 2003 के आलोक में District Collector को FRA, 2006 certificate देने संबंधी कार्रवाई Stage-I की स्वीकृति के पूर्व निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न कर लेनी चाहिए तथा वन संरक्षक को FRA, 2006 certificate उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार नियमावली 2003 के अनुसार Stage-I (in-principle Approval) के पूर्व की Time-line में District Collector के द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का प्रावधान तथा मंत्रालय के पत्र द्वारा यथा वर्णित Stage-I (in-principle Approval) के बाद लगायी गई शर्तों के अनुपालन के समय-सीमा में जिला पदाधिकारी द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का निर्देश, विरोधाभासी प्रतीत होता है। फिर भी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।
3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर राशि देय होगी (रु० 7,04,410/-)।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ए० क० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

७/८